न्यायालय नायब तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 11/2012

सायल		गैर सायल
राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का मोतीगढ़	बनाम	चैनाराम पुत्र बख्ताराम जाति मेघवाल निवासी नौंरगदेसर हाल मोतीगढ़

अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक. 06.08.2018

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मोतीगढ़ की रिपोर्ट पर दिनांक 15.10.2012 को पत्रावली मुरतीब की गई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के गैरसायल चैनाराम पुत्र बख्ताराम जाति मेघवाल निवासी नौंरगदेसर हाल मोतीगढ़ ने ग्राम मोतीगढ़ के ख0न0 1729 में 12.64 हैक्टेयर राजकीय भूमि पर काश्त ग्वार सम्वत् 2069 फसल खरीफ का बीजान किया है, तथा नाजायज काश्त कर रखी है।

गैरसायल चैनाराम पुत्र बख्ताराम जाति मेघवाल नौंरगदेसर हाल मोतीगढ़ को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ, तामिलशुदा नोटिस को शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल ने दिनांक 16.11.2012 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र मय माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा जारी स्थगन आदेश प्रस्तुत किया। उक्त वर्णित रकबा स्थगन आदेश से प्रभावित होने के कारण पत्रावली लम्बित रखी गई। तत्पश्चात् दिनांक 12.12.2014 को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के द्वारा गैरसायल की अपील को खारिज किया गया। वर्तमान मे उक्त वर्णित रकबे पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नही हैं एवं न ही प्रकरण किसी भी अन्य न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः प्रकरण मे गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है एंव भू–राजस्व का 50 गुना 348/– अक्षरे दो सौ सितयासी रूपये वार्षिक शास्ति के अनुसार 6 वर्ष की कुल शास्ति राशि 2088 /–दो हजार अठ्यासी रू आरोपित कर बेदखली के आदेश पारित किये जाते है। पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है उक्त वर्णित भूमि का कब्जा बहक सरकार लेकर बेदखली की कार्यवाही कर फर्द बेदखली प्रस्तुत करे। तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली बाबत लिखा जावे।

पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार(राजस्व)
छतरगढ़

Scanned by CamScanner